मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6–4/2019–3–एक भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः–बिना दण्ड दिए विभागीय जांच प्रकरणों को प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर ही समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–सा.प्र.विभाग का ज्ञाप क सी–6–3–2005–3–एक, दि 22 फरवरी, 2005

सन्दर्भित परिपत्र दि 22.02.2005 का कृपया अवलोकन करें जिसकी कण्डिका–6 में निर्देश दिए गए थे कि वेतनमान रू 12,000–16,500/ या इससे उपर के वेतनमान में नियुक्त शासकीय सेवक के प्रकरण विभागीय कार्यवाही को बिना किसी दण्ड दिए समाप्त किया जाना है तो समन्वय में मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

2– विचारोपरांत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवक के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच की कार्यवाही को बिना किसी दण्ड दिए समाप्त किया जाना है तो ऐसे मामलों में प्रशासकीय विभाग स्वयं ही निर्णय ले कर प्रकरण समाप्त कर सकेगा, अर्थात् ऐसे प्रकरण अब समन्वय को भेजे जाने की आवश्यकता नही है।

3– इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के सन्दर्भित पत्र दिनांक 22.02.2005 की कण्डिका 6 को विलोपित समझा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
13/12/19

(धरणेन्द्र कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी 6– 4/2019–3–एक
भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

16/12/19

(रंजना पाटने)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग